रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 जनवरी, 1983/9 माघ, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 जनवरी, 1983

सं० स्था० ख० वि०-ए (5)-18/81.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम सं० 20) की धारा 397 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, नगर निगम, शिमला द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 395 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाई गई शिमला नगर निगम श्रमिक आवास (प्रबन्ध तथा नियन्त्रण) उप-विधियां के अनुमोदनोपरान्त राजपत्र में सहर्ष अधिसूचित करते हैं ।

शिमला नगर निगम श्रमिक आवास (प्रबन्ध तथा नियन्त्रण) उप-विधियां, 1982

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(i) यह उप-विधियां शिमला नगर निगम श्रमिक आवास (प्रबन्ध

तथा नियन्त्रण) उप विधियां, 1982 कही जा सकती हैं ।

(ii) ये अधिसूचना तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएं.--(i) "श्रमिक आवास" से नगर निगम, शिमला के कार्यभार के अधीन चलाए जा रहे श्रमिक आवास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1979 की धारा 44 के अधीन स्थापित गृह भी हैं ।

(ii) "श्रमिक" से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो कि सरकार या किसी फर्म या नियमित निकाय का नियमित या आकस्मिक कर्मचारी नहीं है अपितु दिन प्रतिदिन व्यवस्था में नियुक्त आकस्मिक श्रमिक है और जिसका शहर की बाहरी परिसीमाओं से 5 कि0 मी0 के भीतर अपना घर नहीं है ।

रेलवे स्टेशन के कुलियों को छोड़कर शहर के किसी भी भाग में काम करने वाले कुली इन विधियों के प्रयोजनों के लिए श्रमिक समझे जाएंगे ।

3. प्रबन्ध और नियन्त्रण.—श्रमिक आवास आयुक्त नगर निगम, शिमला के निर्देशों के अनुसार नगर निगम के कर विभाग के सीधे नियन्त्रण के अधीन चलाए और प्रबन्धित किए जाएंगे ।

4. अनुमति.--किसी श्रमिक आवास में ठहरने की अनुमति आयुक्त या नगर निगम के किसी अधिकारी या इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत किसी पदधारी द्वारा 1 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन के शुल्क के संदाय पर स्वीकृत की जाएगी । इसके अतिरिक्त 50 पैसे प्रतिदिन पानी और बिजली के लिए प्रभारित किए जाएंगे ।

5. प्राप्तिकर्ता श्रमिक आवास में ठहरने की अनुमति हेतु निगम कार्यालय से 0.50 पैसे के संदाय पर प्राप्त विहित प्रपत्र में आयुक्त, नगर निगम को आवेदन करेगा ।

6. प्राप्तिकर्ता ऐसी अनुमति स्वीकृत किए जाने के समय आयुक्त द्वारा अधिकथित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

7. ऐसे श्रमिक को अनुमति नहीं दी जाएगी,--

(क) जिसे नियमित नौकरी मिल गई है ;

(ख) जो किसी घोषित सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित है ;

(ग) जो 12 वर्ष से कम आयु का है ;

(घ) जो चोरी, जुआ खेलने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के अपराध करने या नैतिक भ्रष्टाचार के किसी अन्य अपराध में सिद्ध दोषी पाया गया हो ;

(ङ) जो मादक औषधि या अन्य मादक द्रव्य का व्यसनी है ;

(च) जो इन उप-विधियों की अनुमति की शर्तों का अभ्यासतः उल्लंघन करते पाया गया हो ।

8. ये श्रमिक आवास किसी भी प्रयोजन हेतु किसी भी निकाय को पट्टे या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे और केवल श्रमिकों के आवास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे ।

9. आयुक्त रद्दकरण के कारणों सहित एक मास का नोटिस देकर किसी भी श्रमिक को श्रमिक आवास में ठहरने की दी गई किसी भी अनुमति को रद्द करने के लिए सक्षम होगा ।

10. आयुक्त निगम के अधिकारियों और आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निगम के किसी भी पदधारी को दिन और रात के मध्य किसी भी समय किसी भी श्रमिक आवास के प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

11. प्रत्येक श्रमिक को शयन कक्ष के मामले में 8′ × 4′ स्थान आवंटित किया जाएगा और छोटे कमरों के मामले में कमरे के आकार के आधार पर स्थान का आवंटन किया जाएगा।

12. श्रमिको के अतिथि दो दिनों तक किसी अतिरिक्त संदाय के बिना ठहर सकते हैं जिसके पश्चात् 10 दिनों की अधिकतम कालावधि तक उनसे विहित शुल्क का 50 प्रतिशत भारित किया जाएगा। अतिथि के ठहरने के बारे में सूचना, अतिथि के आवास में पहुंचने से 12 घण्टों के अन्दर निगम के कार्यालय को दी जाएगी। यदि कोई श्रमिक ऊपर अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है तो वह पूर्ण दर पर शुल्क और 5 रुपये शास्ति संदत करने हेतु दायी होगा।

13. श्रमिक आवासों के ठहरने वाले किसी भी श्रमिक का उस परिसर पर जहां उसे ठहरने की अनुमति दी गई है, पट्टे दारी या अभिवृति का कोई दावा नहीं होगा।

14. निगम प्रत्येक आवास के अधियोग के रजिस्टर रखेगा जैसे आयुक्त विहित करे।

15. निगम आवासों में उचित आरोग्य स्थिति रखने के लिए जिम्मेवार होगा और इसकी दैनिक सफाई के लिए भी।

16. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन उप-विधियो के अधीन अनुमति दी गई हो अनुमति पेश करने के लिए बाध्य होगा, जब कभी आयुक्त अथवा नगर निगम के इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अन्य कर्मचारी अथवा किसी पुलिस अधिकारी या दण्डाधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए।

17. अनुमति के बिना या अनुमति की किसी शर्त के उल्लंघन में या इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा जारी किए गए किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन में अनाधिकृत रूप से ठहर रहा पाया गया कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1979 की धारा 396 के अधीन दण्ड का अधिकारी होगा।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

प्रेषित

_____

_____

_____

सेवा में

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

विषय.—श्रमिक आवास में ठहरने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र।

महोदय,

मैं————————————(इलाके) में आकस्मिक कार्यकारी श्रमिक हूं और मैं नगर निगम के———————— में स्थित श्रमिक आवास में ———————— से————————————तक ठहरना चाहता हूं।

मेरा स्थायी पता है ————————————————।

मैं वचन देता हूं कि मैं अनुमति की सभी शर्तों और नगर निगम के प्राधिकारियों के किसी भी अन्य निर्देश का पालन करूंगा।

मैं आभारी हूंगा यदि मुझे आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय,

तिथि————————

आवेदक का नाम और पता।

श्रमिक आवासों में ठहरने की अनुमति का प्रपत्र

(अहस्तान्तरणीय)

सं0————————

श्री———————————— श्रमिक सुपुत्र श्री———————————— निवासी————————————को इसके दूसरी ओर दी गई शर्तों के अध्यधीन श्रमिक आवास————————————में ———————— से – ———————— तक ठहरने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शुल्क रु0 ————————

30 दिनों से अधिक अवधि तक ठहरने की स्थिति में सत्यापित फोटोग्राफ

प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान।

दिनांक————————

आयुक्त या
प्राधिकृत अधिकारी।

शर्तें

1. प्राप्तिकर्ता केवल उस आवास/अकिंचन गृह में ठहरेगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।

2. प्राप्ति कर्ता किसी भी तरह से आवास या आवास में निगम की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा। यदि कोई क्षति उसे पहुंचाई जाती है तो वह निगम के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित क्षति को संदत्त करने का दायी होगा।

3. प्राप्तिकर्ता आवास के परिसरों में मादक औषधि, मादक द्रव्य आदि का सेवन नहीं करेगा।

4. प्राप्तिकर्ता आवास के परिसरों में सामाजिक अवगुणों जैसे जुआ में निरत नहीं होगा।

5. प्राप्तिकर्ता उस कालावधि से अधिक नहीं ठहरेगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है और यदि वह ऐसा करता है तो आयुक्त उसे संक्षेपतः निकाल सकता है।

6. वह आवास के परिसरों को स्वच्छ रखेगा।

आदेश द्वारा,
सी० डी० परसीरा,
सचिव।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
NOTIFICATIONS

Simla-2, the 1st January, 1983

No. LSG-A(5)-18/81.—In exercise of the powers conferred by section 397 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 20 of 1979), the Governor, Himachal Pradesh having approved the Simla Municipal Corporation (Management and Control) of Labour Hostel Bye-laws framed by the Municipal Corporation of Simla in exercise of the powers conferred by section 395 of the above Act, is pleased to notify the same in the Official Gazette.

THE SIMLA MUNICIPAL CORPORATION (MANAGEMENT AND CONTROL) OF LABOUR HOSTEL BYE-LAWS, 1982

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These bye-laws may be called "The Simla Municipal Corporation (Management and Control) of Labour Hostel Bye-Laws, 1982".

(*ii*) These shall come into force on and from the date of notification.

2. *Definitions.*—(*i*) "Labour Hostel" means the Labour Hostels so far being run under the charge of Municipal Corporation, Simla and shall include poor houses established under section 44 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979;

(*ii*) "Labourer" means a labourer who is not a regular or casual employee of Government or any firm or a corporate body, but is employed on casual labour on day to day arrangements and do not own any house within 5 km. from the outer boundaries of the city.

Coolies working in any part of the city except Railway Station coolies shall be considered as labourers for the purposes of these bye-laws.

3. *Management and Control.*—The labour hostels shall be run and managed under the direct control of the Tax Department of the Municipal Corporation as per directions of the Commissioner, Municipal Corporation, Simla.

4. *Permission.*—The permission to stay in any labour hostel shall be granted by the Commissioner or any Municipal Corporation Officer or Official authorised by him in this behalf on payment of a fee of Rs. 1.50 per day. In addition paise 50 per day shall be charged for water and electricity.

5. The grantee shall apply to Commissioner, Municipal Corporation for permission to stay in the labour hostel in the prescribed form available from Corporation Office on payment of Re. 0.50 paise.

6. The grantee shall be bound to abide by the conditions laid down by the Commissioner at the time of granting such permission.

7. No permission shall be granted to a labourer,—

(*a*) who has got regular job;

(*b*) who is suffering from a loathsom, contagious or infectious disease;

(*c*) who is under 12 years of age;

(*d*) who has been convicted for committing the offences of theft, gambling, drinking in public place or for any other offence of moral turpitude;

(*e*) who is an adict to drugs or other intoxicants;

(*f*) who has been found to have habitually committed breach of these bye-laws or of the terms of permission.

8. These labour hostels shall not be given on lease or contract to any body for any purpose and shall be used exclusively for the residence of labourers.

9. The Commissioner shall be competent to cancel any permission granted to any labourer to stay in the labour hostel by giving one month's notice with reasons of cancellation.

10. The Commissioner, Officer of the Corporation and any other official of the Corporation authorised by the Commissioner shall have the power to enter and inspect any labour hostel at any time during day and night.

11. Every labourer shall be allotted a space of 8′×4′ in case of dermitories and in case of small rooms, the space shall be allotted depending upon the size of the room.

12. Guests of the labourers can stay upto two days without any extra payment beyond which they shall be charged at 50% of the prescribed fee upto a maximum period of ten days. The intimation regarding stay of a guest shall be given to the Corporation Office within 12 hours from the arrival of a guest in the hostel. If any labourer fails to give information as required above, he shall be liable to pay fee at full rate and a penalty of Rs. 5.

13. No labourer staying in the labour hostel shall have any claim of lease or tenancy etc. over the premises where he has been allowed to stay.

14. The Corporation shall maintain registers of occupation of each hostel as the Commissioner may prescribe.

15. The Corporation shall be responsible for maintaining proper sanitary conditions in the hostels and also for its daily cleanliness.

16. Every person granted permission under these bye-laws shall be bound to produce the permission as and when required to do so by the Commissioner or any other M.C. employee authorised in this behalf or any Police Officer or Magistrate.

17. Any person found staying un-authorisedly either without permission or in contravention of any term of the permission or in contravention of any directions issued in this behalf by the Commissioner shall be liable to be punished under section 396 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979.

FORM OF APPLICATION

FROM

.....

.....

.....

To

The Commissioner,
Municipal Corporation,
Simla city.

Subject.—Application for grant of permission to stay in Labour Hostel.

Sir,

I am a casual labourer working.....(locality) and I want to stay in Municipal Corporation Labour Hostel located at..... .....from.....to..... My permanent address is..... I undertake that I shall abide by all the conditions of the permission and any other direction of the Municipal authorities. I shall be grateful if necessary permission is granted to me.

Yours faithfully,

Dated..... (Name and address of the applicant).

FORM OF PERMISSION TO STAY IN LABOUR HOSTEL

(*Not transferable*)

No.....

Shri..... Labourer, s/o..... resident of.....is allowed to stay in Labour Hostel at .....from.....to .....subject to the conditions given on reverse.

Fee Rs.....

(*Attested photograph in case of stay for more than 30 days*)

Signature or thumb mark of the grantee.

Date.....

Commissioner
or
Authorised Officer.

CONDITIONS

1. The grantee shall stay only in the hostel/poor house for which the permission has been granted.
2. The grantee shall not damage the hostel or any property of the Corporation in the hostel in any manner. In case any damage is caused by him, he shall be liable to pay the damage as assessed by the Corporation authorities.
3. The grantee shall not use drugs, intoxicants etc. in the hostel premises.
4. The grantee shall not indulge in social vices like gambling etc. in the hostel premises.
5. The grantee shall not stay beyond the period for which the permission has been granted and if he does so, he can be summarily removed by the Commissioner.
6. He shall keep the hostel premises neat and clean.

Simla-2, *the 6th January*, 1983

No. LSG-A (4)-23/77.—In supersession of this Government notifications of even number, dated 31-8-81 and 1-9-81 published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 12-9-1981 and in exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint a Committee of the following persons for the purposes of clauses (*b*) and (*c*) of the aforesaid sub-section (1) of section 257, in relation to the Notified Area Committee, Mehatpur, District Una, Himachal Pradesh for a period of three years :—

President:

The Sub-Divisional Magistrate, Una,

Official Members:

1. The District Revenue Officer, Una.
2. The Assistant Engineer H. P. P. W. D., Una Sub-Division, Una.
3. The Assistant Eng. H. P. S.E.B., Mehatpur.
4. The Assistant Eng. Public Health, Mehatpur.
5. The Medical Officer, Government Dispensary, Badsera.

Non-Official Members:

1. Dr. Kewal Krishan Sharma s/o Shri Baijnath c/o Sharma Clinic, Mehatpur.
2. Sh. B. L. Kumath c/o Salecha Cables Industrial Area, Mehatpur.
3. Sh. Inder Ram s/o Shri Nathu Ram (SC), Mehatpur.
4. Smt. Soma Devi w/o Shri Jugal Kishore, Mehatpur.
5. Dr. Kamal Bhardwaj s/o Sh. Atma Ram, Mehatpur.
6. Shri Shanti Sarup s/o Sh. Hakim Ram, Mehatpur.
7. Shri Naresh Kumar s/o Shri Brahma Nand, Mehatpur.
8. Sh. Rattan Singh s/o Shri Rikhi Ram, Mehatpur.

Simla-171002, *the 6th January*, 1983

No. LSG-A (4)-23/77.—In supersession of this Government Notifications No. 7-10/68-LSG., dated 31-8-1981 & 1-9-1981, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 12-9-1981 and in exercise of the powers conferred by clauses (*d*) and (*e*) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint a Committee of the following persons for the purposes of clauses (*b*) and (*c*) of the aforesaid sub-section (1) of section 257, in relation to the Notified Area Committee, Santokhgarh, District Una, Himachal Pradesh, for a period of three years:—

President:

The Sub-Divisional Magistrate, Una.

Official Members:

1. The Assistant Engineer, H. P. P. W. D., Una, Sub-Division-II.
2. The Assistant Engineer, Irrigation & P. H., Santokhgarh.
3. The Assistant Engineer, H. P. S. E. B., Santokhgarh.
4. The Medical Officer, Civil Dispensary, Santokhgarh.
5. The Vety. Assistant Surgeon, Santokhgarh.

6. The Block Development Officer, Una.

Non-official Members:

1. Shri Bachittar Singh s/o Shri Basant Singh.
2. Sh. Des Raj s/o Shri Behari Lal, Mohalla Jatpur, V. & P. O. Santokhgarh.
3. Capt. Jaswant Singh Negi s/o Shri Jeet Singh, V. & P. O. Santokhgarh.
4. Shri Varinder Gautam s/o Shri Surinder Nath Gautam, V. & P. O. Santokhgarh.
5. Shri Narinder Rana s/o Shri Maya Ram, V. & P. O. Santokhgarh.
6. Smt. Jaswant Kaur w/o Shri Gurbex Singh, V. & P. O. Santokhgarh.
7. Shri Prem Nath Kaushal s/o Shri Ram Kumar, V. & P. O. Santokhgarh.
8. Shri Hari Ram s/o Shri Soba Ram, V. & P. O. Santokhgarh.

By order,
C. D. PARSHEERA,
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 7 जनवरी, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-46/76.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा ने श्री रतन चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत, लुडू के पंचायत की मासिक बैठकों में वर्ष 1980 से लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना दी है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री रतन चन्द को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उक्त आरोप पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, लुडू के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा के माध्यम से इस निदेशालय को पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं और फिर उनके विरुद्ध आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी ।

शिमला–2, 13 जनवरी, 1983

संख्या पी० सी० एच० एच० ए० (5)-28/81—जिलाधीश, चम्बा ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत गरनोटा, जिला चम्बा के अंकेक्षण पत्रों से श्री जगदीश चन्द, प्रधान के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं :–

1. राशन कार्डों, जन्म दान तथा विवाह दान से प्राप्त राशि जमा पंचायत में न करना ।
2. आम के वृक्ष की राशि मु० 225 रु० में से 125 रु० जमा करना ।
3. फाटक फीस तथा मुकदमों की पूरी राशि जमा पंचायत न करना ।
4. नकद शेष भारी मात्रा में अपने पास रखना ।
5. मु० 852 रु० 15 पैसे का दुरुपयोग ।
6. स्कूल भवन गरनोटा तथा पैयजल योजना कामला की मु० 2000 रु० का दुरुपयोग ।
7. मु० 1180 रु० की राशियां पंचायत की पूर्व अनुमति से डाकघर सिहुंता से अनाधिकृत से निकालना ।

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत नियमित जांच करवाई जानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत गरनोटा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत नियमित जांच हेतु जिला पंचायत अधिकारी चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट एक मास तक जिलाधीश चम्बा की मारफत इस विभाग को भेज दें।

शिमला–2, 13 जनवरी, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0 (5)-129/77.—क्योंकि श्री रण सिंह, प्रधान, (निलम्बित), ग्राम पंचायत चोड़ू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर, (हिमाचल प्रदेश) के विरुद्ध मामले की जांच करने पर सभा निधि के मु0 3979.40 रुपये के अस्थायी अपहरण तथा मु0 52 रु0 के स्पष्ट अपहरण के दोषी पाये गये हैं;

और क्योंकि उक्त श्री रण सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 71 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस दिनांक 22-7-1982 को दिया गया था, जिसका उत्तर विचार करने पर असंतोषजनक पाया गया है;

और क्योंकि उक्त श्री रण सिंह के उक्त कृत्य पर उन्हें प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर बनाये रखना जन-हितार्थ नहीं है;

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री रण सिंह को ग्राम पंचायत चौड़ू विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के प्रधान पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत निष्कासित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

शुद्धि पत्र

शिमला–2, 13 जनवरी, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0 (4)–65/76.—राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित दिनांक 11 दिसम्बर, 1982 के अंक में इसके पृष्ठ 1158 पर इस विभाग से जारी सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर, 1982 से सन्दर्भित प्रथम अनुच्छेद की पहली पंक्ति तथा द्वितीय अनुच्छेद की पहली पंक्ति में छपे क्रमशः "1965" तथा "153(1)(बी)" के स्थान पर "1968" तथा "155(1)(बी)" पढ़ा जाये।

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 जनवरी, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0 (4)-46/76.—इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल, 1980 जो पंचायत समिति ग्रेड के अधिक्रमण से सम्बन्धित है, में अंकित शब्द "जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ऊना" के बजाये "अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ऊना" पढ़ा जाये।

हस्ताक्षर/-
अवर सचिव (पंचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।